बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक :-- 6बी / वि0–10133 / 2019– 125 पटना –15 ,दिनांक 16.7.26

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता (मो0–II),
सह– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
बिहार, पटना।

विषय –मुख्य शीर्ष –4215–जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय–उपमुख्य शीर्ष –01--जल पूर्ति–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-- मांग संख्या–36–उप शीर्ष–0114–मुख्य मंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)– विपत्र कोड–36–4215017890114– विषय शीर्ष–0114.53.01–मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत रु0 ₹2.6666 करोड़ रूपये (दो करोड़ छियासठ लाख छियासठ हजार रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

आदेश –वित्तीय वर्ष 2026–27 में निम्न तालिका में अंकित विवरणी के स्तम्भ–2 में अंकित कार्यालय को स्तम्भ–5 में अंकित राशि रु0 ₹2.6666 करोड़ रूपये (दो करोड़ छियासठ लाख छियासठ हजार रूपये) का आवंटन निम्नवत् किया जाता है :–

क्र. सं.	पदनाम जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है।	कार्य का नाम	राशि (करोड रूपये में)			अभियुक्ति
			पूर्व आवंटन	वर्त्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि	
1	2	3	4	5	6	7
1	कार्य0 अभियंता (मो0–II), –सह– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार पटना	राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के गुणवत्ता प्रभावित वार्डों के सभी परिवारों को नल का जल देने हेतु "मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल (गुणवत्ता प्रभवित क्षेत्र) निश्चय योजना" का कार्यान्वयन।	0.00	₹266.66	₹266.66	मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) में पेयजलापूर्त्ति हेतु
		कुल	0.00	₹266.66	₹266.66	
वर्त्तमान आवंटन शब्दों में:–		**(दो करोड़ छियासठ लाख छियासठ हजार रूपये)**				

2. यह व्यय लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के आय–व्यय 2026–27 में बजट उपबंधित राशि से वहन किया जायेगा।

3. इस योजना पर होने वाला व्यय योजना का मुख्य शीर्ष– 4215–जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय–उपमुख्य शीर्ष–01–जल पूर्ति –लघु शीर्ष – 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– मांग संख्या – 36 – उप शीर्ष –0114–मुख्य मंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)– विपत्र कोड – 36–4215017890114– विषय शीर्ष –0114.53.01– मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत भारितव्य होगा।

4. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या – 2561/(वि0–2) दिनांक – 17–04–1998 में दिये गये निदेश के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. इस आवंटित राशि को स्वीकृत योजना के प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश के अनुज्ञेय सीमा के ही अधीन वित्त विभाग के पत्रांक – एम0–4–53/2190 दिनांक – 17–03–2008 में दिये गये निदेश के आलोक में ही व्यय किया जाय।

6. आवंटित राशि से अधिक व्यय किसी भी परिस्थिति में नही किया जाय, तथा अतिरिक्त दायित्व का सृजन भी किसी परिस्थिति में नही किया जाय। आवंटित राशि से अधिक व्यय के लिए आप पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे।

7. आवंटित राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्र संख्या – 5537 दिनांक – 24–06–2015 में निहित प्रावधानों के तहत कार्यपालक अभियंता (मो0–II) –सह– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना द्वारा की जायेगी, यह राशि CFMS के माध्यम से निकासी कर सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना स्थित बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के पी0 एल0 खाता संख्या –**PNBPLA006**, विपत्र कोड –008448-00-120-0041 में अंतरण किया जायेगा।

8. आवंटित राशि की सूचना महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

अभय 15/07/20

(अभय कुमार सिंह)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष
सचिव (का0 प्र0)

ज्ञापांक – 6बी/वि0–10133/2019– 125 पटना –15, दिनांक 16·7·20

प्रतिलिपि–महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार /कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियन्ता प्रमुख –सह– विशेष सचिव(मु0/कार्य प्रबंधन)/मुख्य अभियन्ता (उत्तरी बिहार/दक्षिणी बिहार)/मुख्य अभियन्ता (रूपांकण)/विशेष पदाधिकारी/संयुक्त सचिव (प्र0को0) /अधीक्षण अभियन्ता (मो0)/उप निदेशक (अन्वे0)/उप निदेशक (मू0)/बजट पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता (मो0–I)/ कार्यपालक अभियंता (मो0–II)–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/लेखा शाखा को अतिरिक्त दो प्रतियों सहित/ आई0 टी0 मैनेजर (वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु)/प्रशाखा पदाधिकारी –12/कार्यवाहक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी–12 को अतिरिक्त दो प्रतियों सहित संचिका में रखने हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभय 15/07/20

(अभय कुमार सिंह)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष
सचिव (का0 प्र0)

15